रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 1994/आषाढ़ 14, 1916
No. 287] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 1994/ASADHA 14, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1994

(रबड़ नियंत्रण)

सा.का.नि. 561(अ)—केन्द्रीय सरकार, रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रबड़ नियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रबड़ (संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रबड़ नियम 1955 की पहली अनुसूची में,—

(क) प्ररूप ज में "आर एम ए—IX" "आर एम ए–1"; "आर एम ए-2" और "आर एम ए-3" शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः "आर.एस.एस.-IX", "आर एस.एस.–1," "आर एस.एस.–2", और "आर एस.एम.-3", शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) प्ररूप ज 2 प्ररूप ज 3 और प्ररूप ट में, "आर एम ए-IX" "आर एम ए-1", "आर एम ए-2, "आर एम ए-3", "आर एम ए-4, और "आर एम ए-5", शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः "आर एस एस-IX"; "आर एस एस-1", "आर एस एस-2", "आर एस एस-3", "आर एस एस-4" और "आर एस एस-5", शब्द और अंक रखे जायेंगे।

[फा.सं. 19(13)/93 प्लांट (बी)]

ए. के. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 1 अगस्त, 1955 को सा.का.नि. संख्या 1662 के अंतर्गत प्रकाशित हुए थे तथा बाद में [दिनांक 20 सितम्बर, 1975 को भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित] दिनांक, 2 सितम्बर, 1975 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2402 के द्वारा संशोधित किये गये।

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1994

(RUBBER CONTROL)

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rubber Rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Rubber (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rubber Rules 1955, in the First Schedule,

(a) In Form H, for the words and figures, "RMA-IX", "RMA-1", "RMA-2" and "RMA-3", the words and figures "RSS-IX", "RSS-1", RSS-2", and "RSS-3", shall respectively be substituted ;

(b) In Forms H2, H3 and K, for the words and figures, "RMA-IX", "RMA-1", "RMA-2", "RMA-3", "RMA-4", and "RMA-5", the words and figures "RSS-IX" "RSS-1", "RSS-2", "RSS-3", "RSS-4" and "RSS-5" shall respec ively be substituted.

[F. No. 19(13)|93-Plant(B)]

A. K. GOSWAMI, Jt. Secy.

FOOT NOTE : Principal rules were published vide Notification No. SRO 1662 dated the 1st August, 1955 in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended by Notification No. G.S.R. 2402, dated 2nd September, 1975 (published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (1), dated 20th September, 1975).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayu Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994